प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0,
विशाल कॉम्पलैक्स,
19–ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद–आगरा, गोरखपुर, अलीगढ़, इलाहाबाद, झाँसी, कानपुर नगर, मेरठ, लखनऊ, सैफई इटावा एवं वाराणसी।

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / CH/SNCU / 36 / 2016–17 / 6208–10 दिनांक 7-10-2016 ~~/09/2016~~

विषय–राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मेडिकल कालेजों के बालरोग विभाग में स्थापित एस0एन0सी0यू0 को क्रियाशील बनाये रखने एवं क्रियाशील किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से गंभीर नवजात शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश के चयनित 09 मेडिकल कालेजों के बालरोग विभाग में **सिक न्यूबोर्न केयर इकाईयां** (SNCUs) क्रियाशील हैं तथा आई0एम0एस0 बी0एच0यू0 वाराणसी में यूनिसेफ के सहयोग से इकाई स्थापित की जा रही है। यह इकाईयां मेडिकल कालेजों का अभिन्न अंग है।

इस कार्यालय के **पत्र संख्या**–एस0पी0एम0यू0 / CH/SNCU / 36 / 2015–16 / 7297–23 दिनांक 13.10.2015 एवं **पत्र संख्या**–एस0पी0एम0यू0 / CH/SNCU / 36 / 2015–16 / 11916–23, दिनांक 31.03.2016 के माध्यम से सिक न्यूबोर्न केयर इकाईयों (SNCUs) के संचालन हेतु धनराशि एवं विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किये गये थे।

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 की आर0ओ0पी0 में सिक न्यूबोर्न केयर इकाईयों (SNCUs) को क्रियाशील बनाये रखने हेतु आपरेशनल कास्ट एवं मानव संसाधन के मानदेय के लिए अनुमोदित धनराशि जनपदवार एवं इकाईवार संलग्न तालिकानुसार जनपदो की जिला स्वास्थ्य समितियों को अवमुक्त की जा रही है।

<u>वित्त पोषण</u>

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 में स्वीकृत की गयी धनराशि को निम्नानुसार व्यय किया जाये।

1- Operational Cost

FMR Code- A.2.2.1 पर ऑपरेशनल कॉस्ट की धनराशि का **60 प्रतिशत** औषधियों, कन्जूमेबिल्स, डायपर, न्यूट्रीशनल सप्लीमेन्ट के रूप में उपयोग किये जाने हेतु शिशु मिल्क पाउडर (**Govt. of india FBNC Operational Guidelines के अनुसार**) कंगारू मदर केयर (KMC) इकाई हेतु आवश्यक सामग्री आदि **तथा 40 प्रतिशत धनराशि से** ए0एम0सी0 एवं उपकरणों के अनुरक्षण एवं इकाई को क्रियाशील बनाये रखने हेतु छोटे–मोटे उपकरणों के क्रय एवं अन्य आवश्यक सामग्री **एस0एन0सी0यू0 इन्चार्ज की आवश्यकतानुसार** क्रय किये जायें। विभागाध्यक्ष / नोडल अधिकारी द्वारा बिना इनकी लिखित परामर्श के धनराशि का उपयोग न किया जाये। ऑपरेशनल कॉस्ट हेतु संलग्न तालिका के अनुसार इकाईवार धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

ऑपरेशनल कॉस्ट मद में ही उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई, इटावा तथा आई0एम0एस0 बी0एच0यू0 वाराणसी को रू0 1.00 लाख प्रति इकाई के अनुसार एस0एन0सी0यू0 के निकट कंगारू मदर केयर (KMC) **इकाई स्थापित करने हेतु तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है। वर्ष 2015–16 में अन्य मेडिकल कालेजों में** कंगारू मदर केयर (KMC) **इकाई स्थापित करने हेतु धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।**

कंगारू मदर केयर (KMC) गतिविधि के लिये एस0एन0सी0यू0 के निकट के0एम0सी0 लिये एक अलग कमरा या पृथक स्थान सुनिश्चित करें। जिसमें कम से कम 3 से 6 माताओ के बैठने का स्थान हो।

One Time Establishment Cost for KMC Space				
S.N.	**Item**	**Unit Needed**	**Unit Cost**	**Total Cost**
1	Easy Chair (Reclining with foot support)	3	5000	15000
2	Air Conditioner,	1	40000	40000
3	Heater, (Oil Emersion) Room thermometer, Digital Thermometer, wall clock	1 each	11000	11000
*Recliner beds and Almirah , one chair and table , screen slippers for attendants to be ensured from regular supply				
Recurring Cost for KMC Activities				
S.N.	**Item**	**Units Needed**	**Unit Cost**	**Total Cost**
1	Feeding Equipment (small steel Container with lid, spoon, Paladay	20	200	4000
2	Gown for mothers	50	200	10000
3	Baby wraps with fur/ wool	70	200	14000
4	Clothes for newborn (Disposable , cap, socks, medium size towel)	40 caps, socks, towel	200	6000
*Feeding tubes, resuscitator, soap, cotton, diapers to be ensured from regular supply				

2- Human Resource-

- **एस0एन0सी0यू0** में FMR Code-A.8.1.1.2.f पर **मेडिकल कालेजों में संविदा** स्टॉफ नर्सों के मानदेय हेतु पूर्व से कार्यरत 60 स्टाफ नर्सों को रू0 19060/- प्रतिमाह की दर से 6 माह के मानदेय **तथा एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण होने पर नियमानुसार 5 प्रतिशत की वेतन वृद्वि दी जायेगी** शेष 82 स्टाफ नर्सों को रू0 18150/- प्रतिमाह की दर से 3 माह के मानदेय हेतु संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है। मानदेय हेतु अवशेष धनराशि शीघ्र अवमुक्त की जायेगी।

- **एस0एन0सी0यू0** में FMR Code -A.8.1.11.f पर **मेडिकल कालेज में डाटा इन्ट्री आपरेटर- (आउट सोर्सिंग के माध्यम से) के** मानदेय हेतु पूर्व से कार्यरत 8 डाटा इन्ट्री आपरेटर के 6 माह का मानदेय एवं 2 डाटा इन्ट्री आपरेटर के 3 माह का मानदेय रू0 12000/- प्रतिमाह की दर से जनपदवार एवं इकाईवार संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है। मानदेय हेतु अवशेष धनराशि शीघ्र अवमुक्त की जायेगी।

- **एस0एन0सी0यू0** में FMR Code-A.8.1.11.f **पर मेडिकल कालेज में सफाई कर्मी/वार्ड आया (आउट सोर्सिंग के माध्यम से)** के मानदेय हेतु पूर्व से कार्यरत 28 सफाई कर्मी/वार्ड आया 6 माह का मानदेय एवं 32 सफाई कर्मी/वार्ड आया के 3 माह का मानदेय हेतु रू0 6400/- प्रतिमाह की दर से जनपदवार एवं इकाईवार संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है। मानदेय हेतु अवशेष धनराशि शीघ्र अवमुक्त की जायेगी।

- **एस0एन0सी0यू0** में FMR Code-A.8.1.11.f **पर मेडिकल कालेज में नवीन पद सिक्युरटी गार्ड (आउट सोर्सिंग के माध्यम से) प्रति इकाई 3 सिक्युरटी गार्ड** के 30 नवीन पदों हेतु रू0 6400/- प्रतिमाह की दर से 3 माह के मानदेय हेतु जनपदवार एवं इकाईवार संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है। मानदेय हेतु अवशेष धनराशि शीघ्र अवमुक्त की जायेगी।

3- SNCU डाटा मैनेजमेन्ट-

वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार द्वारा आर0ओ0पी0 के FMR Code-A.2.2.1.1 पर क्रियाशील इकाईयों में SNCU-Data Management हेतु रू0 1,60,000/- की धनराशि प्रति इकाई की दर से स्वीकृत की गयी है धनराशि जनपदवार एवं इकाईवार संलग्न तालिकानुसार अवमुक्त की जा रही है। **आई0एम0एस0-बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी हेतु धनराशि यूनिसेफ, उत्तर प्रदेश के स्तर से उपलब्ध करायी जायेगी।**

- **SNCU डाटा मैनेजमेन्ट गतिविधि** हेतु रू0 60,000/- की धनराशि प्रति इकाई के अनुसार जिसे कम्प्यूटर सम्बन्धी स्टेश्नरी, प्रिन्टर कार्टेज, पेपर रिम, इन्टरनेट एवं मोबाइल का मासिक व्यय कम्प्यूटर प्रिन्टर का रख-रखाव की व्यवस्था इत्यादि हेतु व्यय किया जायेगा। इस कार्यालय के पत्र संख्या-एस0पी0एम0यू0/CH/FBNC/18'26/2016-17/8063, दिनांक 04.05.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

- **SNCU डाटा मैनेजमेन्ट गतिविधि** हेतु Printing cost for SNCU stationery & Case Recording format हेतु रू0 1,00,000/- की धनराशि प्रति इकाई के अनुसार अवमुक्त की जा रही है। इस धनराशि से

इकाई में मरीजों के उपयोग होने वाले प्रपत्र जैसे Case Record, Monitoring sheet/treatment & discharge भारत सरकार से प्राप्त प्रपत्र के अनुसार प्रिन्ट कराने के लिये उपयोग की जायेगी।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी आवटिंत धनराशि यथाशीघ्र सम्बन्धित मेडिकल कालेजों को अवमुक्त करना सुनिश्चित करें।

नोटः–

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।
2. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख कैश बुक लेजर चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का राजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियॉ समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी द्वारा कराना सुनिश्चित करें।
3. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहे।
4. आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुये अपनी लेखा पुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
5. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की पृविष्टयों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्ट की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
6. व्यय से सबन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं मासिक कान्करेन्ट अडिटर, स्टेटच्यूरी अडिटर, महालेखाकार की अडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत उपलब्धं कराये गये संशोधित आपरेशनल गाईड लाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निदेशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
8. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये विभागाध्यक्ष/नोडल अधिकारी एवं सम्बन्धित लिपिक/द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें। मुख्य चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करायें।
9. प्रत्येक माह एस0एन0सी0यू0 से मदवार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे जिला लेखा प्रबन्धक के माध्यम से वित्त अनुभाग एस0पी0एम0यू0 तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।
10. जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति न की जाय, इसको शासन स्तर पर गंम्भीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाईट पर उपलब्ध है।
11. इस कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/2012–13/लेखा/पी0एफ0एम0 एस0/187/96–2, दिनांक 08/04/2015 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि समस्त भुगतान पब्लिक फाईनेशियल मॅनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) वेब पोर्टल से तैयार ई–पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।

4– संविदा मानव संसाधन हेतु निर्देश–

1. **एस0एन0सी0यू0 पर तैनात संविदा कर्मियों को किसी अन्य स्थान पर कार्य करने के लिये न लगाया जाय।** यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो सम्बन्धित मेडिकल कालेजों के विभागाध्यक्ष बालरोग विभाग/नोडल अधिकारी, एस0एन0सी0यू0 व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

2. एस0एन0सी0यू0 पर तैनात स्टाफ नर्स एवं पीडियाट्रीशिन, जिन्होंने पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, को 4 दिवसीय फेसिलटीबेस्ड न्यूबोर्न केयर (FBNC) प्रशिक्षण तदोपरान्त 12 कार्य दिवसीय Observership-FBNC प्रशिक्षण कलावती सरण चिल्ड्रेन हॉस्पिटल दिल्ली/अन्य समकक्ष चिन्हित चिकित्सालय में दिया जाना प्रस्तावित है।

यह प्रशिक्षण स्टाफ नर्स एवं पीडियाट्रीशिन को प्राप्त करना अनिवार्य है। जब प्रशिक्षण हेतु पत्र राज्य स्तर से भेजा जायेगा, स्थानीय व्यवस्था सुनिश्चित करते हुये प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त करना होगा। नामांकन आदेश के उपरान्त यदि स्टाफ नर्स एवं पीडियाट्रीशिन प्रशिक्षण में भाग नहीं लेंगे तो ऐसी स्थित में उस अवधि का वेतन रोका जा सकता है।

3. यह सुनिश्चित किया जाय कि स्टाफ नर्स/चिकित्सक अपने ड्यूटी के समय निर्धारित ड्रेस में कार्य करें।

5– डाटा इन्ट्री आपरेटर के कार्य एवं दायित्व–

भारत सरकार द्वारा दिये निर्देशों के क्रम में मेडिकल कॉलेजों में संचालित सिक न्यबोर्न इकाईयों (SNCUs) में कार्यरत डाटा इन्ट्री आपरेटर द्वारा यदि मेडिकल कॉलेजों में पोषण पुनर्वास केन्द्र (NRCs) संचालित है तो इस इकाई की रिपोर्टिंग का भी कार्य किया जायेगा तथा Data की online फीडिगं करेगें तथा इकाई की Database का रखरखाव, इसके अतिरिक्त मेडिकल कॉलेजों की इकाईयों में कार्यरत डाटा इन्ट्री आपरेटर बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों से सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्बन्धित विभागों से समन्वय कर सहयोग प्रदान करेगें एवं समय–समय पर राज्य स्तर से जारी निर्देशानुसार कार्य करेंगे।

6– सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU) के संविदा मानव संसाधन के भर्ती/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्देश–

- वित्तीय वर्ष के दौरान एस0एन0सी0यू0 में अगर कोई भी मानव संसाधन का पद रिक्त है और उसका पद स्वीकृत हो और मानदेय उपलब्ध हो तो उस मानव संसाधन की नियुक्ति नियमानुसार शीघ्र करें।
- **संविदा स्टाफ नर्स** :– **मेडिकल कालेज में** सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU) पर मेडिकल काउन्सिल में पंजीकृत स्टाफ नर्स को संविदा पर तैनात किया जायेगा। जिनका मानदेय रू0 18150/– प्रति माह की दर से देय होगा। **(सिक न्यूबोर्न केयर इकाईयों (SNCUs) में प्राथमिकता के आधार पर महिला स्टाफ नर्सो की नियुक्ति की जाये)**
- **डाटाइन्ट्री आपरेटर (आउट सोर्सिगं के माध्यम से)**– भारत सरकार द्वारा दिए गये निर्देशों के क्रम में डाटाइन्ट्री आपरेटर के रिक्त पद पर आउट सोर्सिगं के माध्यम से रखे जाने है। डाटाइन्ट्री आपरेटर का मानदेय रू0 12000.00 प्रति माह की दर से देय होगा। जिसकी शैक्षिक योग्यता स्नातक पास एवं कम्प्यूटर में ओ0 लेवल डिप्लोमा या एक वर्षीय कम्यूटर कोर्स का प्रमाण पत्र (one year certificate course computer application or O- Level Computer Diploma) अनिवार्य है, कम से कम दो साल के अनुभव वाले अभ्यार्थी को वरीयता दी जायेगी।
- **सफाई कर्मी/वार्ड आया (आउट सोर्सिगं के माध्यम से)– मेडिकल कालेज में** सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU) पर सफाई कर्मी/वार्ड आया/सिक्युरटी गार्ड को आउट सोर्सिगं के माध्यम से रखा जायेगा। प्रति इकाई **3** सफाई कर्मी, प्रति इकाई **3** वार्ड आया, प्रति इकाई **3 सिक्युरटी गार्ड** की तैनाती की जायेगी जिनका मानदेय प्रति रू0 6400/– प्रतिमाह की दर से देय होगा।
- **चयन की प्रक्रिया पूर्व में जारी दिशा निर्देशानुसार ही की जाये। संविदा कर्मियों के चयन हेतु विज्ञापन प्रादेशिक दैनिक 2 हिन्दी समाचार पत्र एवं 1 अंग्रेजी समाचार में अवश्य दिया जाय।**

8– कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन –

सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU) की क्रियाशीलता बनाये रखने के लिये उपकरणों का रख रखाव एवं विद्युत आपूर्ति, महत्वपूर्ण है। क्योंकि यह इकाईयां चिकित्सालय का अभिन्न अंग है। अतः विद्युत वायरिंग अर्थिंग मानक के अनुसार पूर्ण करने तथा इन इकाईयों में आग से सुरक्षा सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व मेडिकल कालेजों में चिकित्सालय प्रशासन/विभागाध्यक्ष बालरोग विभाग का होगा। इस हेतु विभागीय इन्जीनियर का सहयोग लेने का कष्ट करें। **विभागाध्यक्ष/नोडल अधिकारी द्वारा दैनिक आनलाईन रिर्पोटिगं कराया जाना सुनिश्चित करें।** एस0एन0सी0यू0 की भौतिक प्रगति रिपोर्ट भारत सरकार द्वारा वांछित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 25 तारीख तक महानिदेशालय परिवार कल्याण, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के ई–मेल

jdrchup@gmail.com एवं राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ के ई–मेल sncureportup@gmail.com पर संलग्न प्रारूप पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अनुरोध है कि कृपया अपने मेडिकल कालेजों के विभागाध्यक्ष बालरोग विभाग/नोडल अधिकारी, एस0एन0सी0यू0 से समन्वय करते हुये समय से धनराशि अवमुक्त करने की समस्त आवश्यक कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित करने का कष्ट करें। प्रयास करें की एस0एन0सी0यू0 के क्रियाशीलता में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। अन्य किसी जानकारी के लिये संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0, परिवार कल्याण महानिदेशालय के मो0न0 09412235596 एवं महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के मो0न0 09415026046 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/CH/SNCU/36/2016–17/ दिनांक /09/2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. **प्रमुख सचिव,** चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. **प्रमुख सचिव,** चिकित्सा शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
3. **महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य,** सेवायें, स्वास्थ्य भवन उ0प्र0, लखनऊ।
4. **महानिदेशक, परिवार कल्याण,** परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ कि अपने स्तर से भी जनपदों को दिशा निर्देश भेजने तथा एस0एन0सी0यू0 की क्रियाशीलता का अनुश्रवण करने का कष्ट करें।
5. **सम्बन्धित ज़िलाधिकारी**/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
6. **सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक**, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
7. **संयुक्त निदेशक,** आर0सी0एच0 परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
8. **कुलपति,** उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
9. **कुलपति,** किंगजार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ/अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़।
10. **निदेशक,** आई0एम0एस0–बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी
11. **प्रधानाचार्य,** एम0एल0एन0, मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद/एल0एल0आर0एम0, मेडिकल कॉलेज मेरठ/एस0एन0, मेडिकल कॉलेज आगरा/जी0एस0वी0एम0, मेडिकल कॉलेज कानपुर/बी0आर0डी0, मेडिकल कॉलेज गोरखपुर/आर0एल0बी0, मेडिकल कॉलेज झाँसी।
12. **विभागाध्यक्ष, बालरोग विभाग**/नोडल अधिकारी/कोऑडिनेटर, SNCU, मेडिकल यूनिवर्सिटी/ कॉलेज, किंगजार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, **लखनऊ**/जे0एन0 मेडिकल कॉलेज **अलीगढ़**/एम0एल0एन0 मेडिकल कॉलेज **इलाहाबाद**/एल0एल0आर0एम0, मेडिकल कॉलेज **मेरठ**/एस0एन0, मेडिकल कॉलेज **आगरा**/जी0एस0वी0एम0, मेडिकल कॉलेज **कानपुर**/बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज **गोरखपुर**/आर0एल0बी0, मेडिकल कॉलेज **झाँसी,** उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, **सैफई, इटावा एवं आई0एम0एस0–बी0एच0यू0 वाराणसी** को इस अनुरोध के साथ कि अपने जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
13. **सम्बन्धित मण्डलीय एवं जनपदीय,** कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
14. **ऑफीसर इन्चार्ज हेल्थ, यूनीसेफ,** बी–3/258, विशाल खन्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उ0प्र0।

(डा0 अनिल कुमार वर्मा)
महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य

SNCU Medical College Operational Cost & Contractual HR Funds allocation 2016-17

S.N.	Name of District	Name of Unit	Operational Cost	KMC	SNCU Data Management & Printing cost for SNCU stationery and case recording format @ Rs.160000/-SNCU	Staff Nurse: Old, SNs @19060/Month for 6 months	Staff Nurse: New, SNs @18150 per Month for 3 months	Staff Nurse: 5% increment for Old SNs for 6 months	Staff Nurse: Total Honorarium of Staff Nurse	Staff Nurse: Total Honorarium old & new of Staff Nurse + 5% increment for old SN	Cleaner/ Ward Ayah/Security Guard: No. OLD CL/WA for 6 months	Cleaner/ Ward Ayah/Security Guard: No. New CL/WA/SG for 3 month	Cleaner/ Ward Ayah/Security Guard: Amount Total Honorarium @ Rs. 6400/- p.m.	Data Entry Oprator: No. old DEO Honorarium @ Rs.12000/- p.m. for 6 months	Data Entry Oprator: No. New DEO Honorarium @ Rs.12000/- p.m. for 3 months	Data Entry Oprator: Amount Total Honorarium of Data Entry Operator	Total Funds released to DHS
		FMR Code			A.2.2.1.1	A.8.1.1.2.f					A.8.1.11.f			A.8.1.11.f			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Agra	Agra MC	1000000	0	160000	8	8	45744	1350480	1396224	4	5	249600	1	0	72000	2877824
2	Gorakhpur	Gorakhpur MC	1000000	0	160000	8	8	45744	1350480	1396224	4	5	249600	1	0	72000	2877824
3	Aligarh	Aligarh MC	600000	0	160000	8	2	45744	1023780	1069524	0	9	172800	1	0	72000	2074324
4	Allahabad	Allahabad MC	1000000	0	160000	8	8	45744	1350480	1396224	4	5	249600	1	0	72000	2877824
5	Jhansi	Jhansi MC	1000000	0	160000	8	8	45744	1350480	1396224	4	5	249600	1	0	72000	2877824
6	Kanpur	Kanpur MC	1000000	0	160000	8	8	45744	1350480	1396224	4	5	249600	1	0	72000	2877824
7	Lucknow	Lucknow MC	1000000	0	160000	8	8	45744	1350480	1396224	4	5	249600	1	0	72000	2877824
8	Meerut	Meerut MC	600000	0	160000	4	12	22872	1110840	1133712	4	5	249600	1	0	72000	2215312
9	Etawah	Safai MC	500000	100000	160000	0	8	0	435600	435600	0	9	172800	0	1	36000	1404400
10	Varanasi	Varanasi BHU	450000	100000	0	0	12	0	653400	653400	0	9	172800	0	1	36000	1412200
Grand Total (in Rs.)			**8150000**	**200000**	**1440000**	**60**	**82**	**343080**	**11326500**	**11669580**	**28**	**62**	2265600	**8**	2	648000	24373180
Grand Total (in lacs)			83.50		14.40	142		3.43	113.265	116.70	90		22.66	10		6.48	244

Aaw

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0,
विशाल कॉम्पलैक्स,
19–ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद–आगरा, गोरखपुर, अलीगढ़, इलाहाबाद, झाँसी, कानपुर नगर, मेरठ, लखनऊ, सैफई इटावा एवं वाराणसी।

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/CH/SNCU/36/2016–17/ दिनांक 7.10.2016 /~~09/2016~~

विषय–राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मेडिकल कालेजों के बालरोग विभाग में स्थापित एस0एन0सी0यू0 को क्रियाशील बनाये रखने एवं क्रियाशील किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से गंभीर नवजात शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश के चयनित 09 मेडिकल कालेजों के बालरोग विभाग में **सिक न्यूबोर्न केयर इकाईयां** (SNCUs) क्रियाशील हैं तथा आई0एम0एस0 बी0एच0यू0 वाराणसी में यूनिसेफ के सहयोग से इकाई स्थापित की जा रही है। यह इकाईयां मेडिकल कालेजों का अभिन्न अंग है।

इस कार्यालय के **पत्र संख्या**–एस0पी0एम0यू0/CH/SNCU/36/2015–16/7297–23 दिनांक 13.10.2015 एवं **पत्र संख्या**–एस0पी0एम0यू0/CH/SNCU/36/2015–16/11916–23, दिनांक 31.03.2016 के माध्यम से सिक न्यूबोर्न केयर इकाईयों (SNCUs) के संचालन हेतु धनराशि एवं विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किये गये थे।

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 की आर0ओ0पी0 में सिक न्यूबोर्न केयर इकाईयों (SNCUs) को क्रियाशील बनाये रखने हेतु आपरेशनल कास्ट एवं मानव संसाधन के मानदेय के लिए अनुमोदित धनराशि जनपदवार एवं इकाईवार संलग्न तालिकानुसार जनपदो की जिला स्वास्थ्य समितियों को अवमुक्त की जा रही है।

<u>वित्त पोषण</u>

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 में स्वीकृत की गयी धनराशि को निम्नानुसार व्यय किया जाये।

1- Operational Cost

FMR Code- A.2.2.1 पर ऑपरेशनल कॉस्ट की धनराशि का **60 प्रतिशत** औषधियों, कन्जूमेबिल्स, डायपर, न्यूट्रीशनल सप्लीमेन्ट के रूप में उपयोग किये जाने हेतु शिशु मिल्क पाउडर (**<u>Govt. of india FBNC Operational Guidelines के अनुसार</u>**) कंगारू मदर केयर (KMC) इकाई हेतु आवश्यक सामग्री आदि **तथा 40 प्रतिशत धनराशि से** ए0एम0सी0 एवं उपकरणों के अनुरक्षण एवं इकाई को क्रियाशील बनाये रखने हेतु छोटे–मोटे उपकरणों के क्रय एवं अन्य आवश्यक सामग्री **<u>एस0एन0सी0यू0 इन्चार्ज की आवश्यकतानुसार</u>** क्रय किये जायें। विभागाध्यक्ष/नोडल अधिकारी द्वारा बिना इनकी लिखित परामर्श के धनराशि का उपयोग न किया जाये। ऑपरेशनल कॉस्ट हेतु संलग्न तालिका के अनुसार इकाईवार धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

ऑपरेशनल कॉस्ट मद में ही उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई, इटावा तथा आई0एम0एस0 बी0एच0यू0 वाराणसी को रू0 1.00 लाख प्रति इकाई के अनुसार एस0एन0सी0यू0 के निकट कंगारू मदर केयर (KMC) **इकाई स्थापित करने हेतु तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है। वर्ष 2015–16 में अन्य मेडिकल कालेजों में** कंगारू मदर केयर (KMC) **इकाई स्थापित करने हेतु धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।**

कंगारू मदर केयर (KMC) गतिविधि के लिये एस0एन0सी0यू0 के निकट के0एम0सी0 लिये एक अलग कमरा या पृथक स्थान सुनिश्चित करें। जिसमें कम से कम 3 से 6 माताओ के बैठने का स्थान हो।

One Time Establishment Cost for KMC Space				
S.N.	**Item**	**Unit Needed**	**Unit Cost**	**Total Cost**
1	Easy Chair (Reclining with foot support)	3	5000	15000
2	Air Conditioner,	1	40000	40000
3	Heater, (Oil Emersion) Room thermometer, Digital Thermometer, wall clock	1 each	11000	11000
*Recliner beds and Almirah , one chair and table , screen slippers for attendants to be ensured from regular supply				
Recurring Cost for KMC Activities				
S.N.	**Item**	**Units Needed**	**Unit Cost**	**Total Cost**
1	Feeding Equipment (small steel Container with lid, spoon, Paladay	20	200	4000
2	Gown for mothers	50	200	10000
3	Baby wraps with fur/ wool	70	200	14000
4	Clothes for newborn (Disposable , cap, socks, medium size towel)	40 caps, socks, towel	200	6000
*Feeding tubes, resuscitator, soap, cotton, diapers to be ensured from regular supply				

2- Human Resource-

- **एस0एन0सी0यू0** में FMR Code-A.8.1.1.2.f पर **मेडिकल कालेजों में संविदा** स्टॉफ नर्सों के मानदेय हेतु पूर्व से कार्यरत 60 स्टाफ नर्सों को रू0 19060/– प्रतिमाह की दर से 6 माह के मानदेय **तथा एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण होने पर नियमानुसार 5 प्रतिशत की वेतन वृद्वि दी जायेगी** शेष 82 स्टाफ नर्सों को रू0 18150/– प्रतिमाह की दर से 3 माह के मानदेय हेतु संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है। मानदेय हेतु अवशेष धनराशि शीघ्र अवमुक्त की जायेगी।

- **एस0एन0सी0यू0** में FMR Code -A.8.1.11.f पर **मेडिकल कालेज में डाटा इन्ट्री आपरेटर– (आउट सोर्सिंग के माध्यम से) के** मानदेय हेतु पूर्व से कार्यरत 8 डाटा इन्ट्री आपरेटर के 6 माह का मानदेय एवं 2 डाटा इन्ट्री आपरेटर के 3 माह का मानदेय रू0 12000/– प्रतिमाह की दर से जनपदवार एवं इकाईवार संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है। मानदेय हेतु अवशेष धनराशि शीघ्र अवमुक्त की जायेगी।

- **एस0एन0सी0यू0** में FMR Code-A.8.1.11.f **पर मेडिकल कालेज में सफाई कर्मी/वार्ड आया (आउट सोर्सिंग के माध्यम से)** के मानदेय हेतु पूर्व से कार्यरत 28 सफाई कर्मी/वार्ड आया 6 माह का मानदेय एवं 32 सफाई कर्मी/वार्ड आया के 3 माह का मानदेय हेतु रू0 6400/– प्रतिमाह की दर से जनपदवार एवं इकाईवार संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है। मानदेय हेतु अवशेष धनराशि शीघ्र अवमुक्त की जायेगी।

- **एस0एन0सी0यू0** में FMR Code-A.8.1.11.f **पर मेडिकल कालेज में नवीन पद सिक्युरटी गार्ड (आउट सोर्सिंग के माध्यम से) प्रति इकाई 3 सिक्युरटी गार्ड** के 30 नवीन पदों हेतु रू0 6400/– प्रतिमाह की दर से 3 माह के मानदेय हेतु जनपदवार एवं इकाईवार संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है। मानदेय हेतु अवशेष धनराशि शीघ्र अवमुक्त की जायेगी।

3- SNCU डाटा मैनेजमेन्ट–

वर्ष 2016–17 हेतु भारत सरकार द्वारा आर0ओ0पी0 के FMR Code-A.2.2.1.1 पर क्रियाशील इकाईयों में SNCU-Data Management हेतु रू0 1,60,000/– की धनराशि प्रति इकाई की दर से स्वीकृत की गयी है धनराशि जनपदवार एवं इकाईवार संलग्न तालिकानुसार अवमुक्त की जा रही है। **आई0एम0एस0–बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी हेतु धनराशि यूनिसेफ, उत्तर प्रदेश के स्तर से उपलब्ध करायी जायेगी।**

- **SNCU डाटा मैनेजमेन्ट गतिविधि** हेतु रू0 60,000/– की धनराशि प्रति इकाई के अनुसार जिसे कम्प्यूटर सम्बन्धी स्टेशनरी, प्रिन्टर कार्टेज, पेपर रिम, इन्टरनेट एवं मोबाइल का मासिक व्यय कम्प्यूटर प्रिन्टर का रख–रखाव की व्यवस्था इत्यादि हेतु व्यय किया जायेगा। इस कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/CH/FBNC/18'26/2016–17/8063, दिनांक 04.05.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

- **SNCU डाटा मैनेजमेन्ट गतिविधि** हेतु Printing cost for SNCU stationery & Case Recording format हेतु रू0 1,00,000/– की धनराशि प्रति इकाई के अनुसार अवमुक्त की जा रही है। इस धनराशि से

इकाई में मरीजों के उपयोग होने वाले प्रपत्र जैसे Case Record, Monitoring sheet/treatment & discharge भारत सरकार से प्राप्त प्रपत्र के अनुसार प्रिन्ट कराने के लिये उपयोग की जायेगी।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी आवटिंत धनराशि यथाशीघ्र सम्बन्धित मेडिकल कालेजों को अवमुक्त करना सुनिश्चित करें।

नोटः–

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।
2. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख कैश बुक लेजर चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का राजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियॉं समय से पूर्ण करायें साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी द्वारा कराना सुनिश्चित करें।
3. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहे।
4. आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुये अपनी लेखा पुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
5. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की पृविष्टयों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्ट की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
6. व्यय से सबन्धित समस्त लेखाबहियॉं, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं मासिक कान्करेन्ट अडिटर, स्टेटच्यूरी अडिटर, महालेखाकार की अडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाईड लाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निदेशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
8. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये विभागाध्यक्ष/नोडल अधिकारी एवं सम्बन्धित लिपिक/द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें। मुख्य चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करायें।
9. प्रत्येक माह एस0एन0सी0यू0 से मदवार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे जिला लेखा प्रबन्धक के माध्यम से वित्त अनुभाग एस0पी0एम0यू0 तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।
10. जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति न की जाय, इसको शासन स्तर पर गंम्भीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाईट पर उपलब्ध है।
11. इस कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/2012–13/लेखा/पी0एफ0एम0एस0/187/96–2, दिनांक 08/04/2015 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि समस्त भुगतान पब्लिक फाईनेशियल मॅनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) वेब पोर्टल से तैयार ई–पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।

4– संविदा मानव संसाधन हेतु निर्देश–

1. **एस0एन0सी0यू0 पर तैनात संविदा कर्मियों को किसी अन्य स्थान पर कार्य करने के लिये न लगाया जाय।** यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो सम्बन्धित मेडिकल कालेजों के विभागाध्यक्ष बालरोग विभाग/नोडल अधिकारी, एस0एन0सी0यू0 व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

2. एस0एन0सी0यू0 पर तैनात स्टाफ नर्स एवं पीडियाट्रीशिन, जिन्होंने पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, को 4 दिवसीय फेसिलटीबेस्ड न्यूबोर्न केयर (FBNC) प्रशिक्षण तदोपरान्त 12 कार्य दिवसीय Observership-FBNC प्रशिक्षण कलावती सरण चिल्ड्रेन हॉस्पिटल दिल्ली/अन्य समकक्ष चिन्हित चिकित्सालय में दिया जाना प्रस्तावित है।

यह प्रशिक्षण स्टाफ नर्स एवं पीडियाट्रीशिन को प्राप्त करना अनिवार्य है। जब प्रशिक्षण हेतु पत्र राज्य स्तर से भेजा जायेगा, स्थानीय व्यवस्था सुनिश्चित करते हुये प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त करना होगा। नामांकन आदेश के उपरान्त यदि स्टाफ नर्स एवं पीडियाट्रीशिन प्रशिक्षण में भाग नहीं लेंगे तो ऐसी स्थित में उस अवधि का वेतन रोका जा सकता है।

3. यह सुनिश्चित किया जाय कि स्टाफ नर्स/चिकित्सक अपने ड्यूटी के समय निर्धारित ड्रेस में कार्य करें।

5– डाटा इन्ट्री आपरेटर के कार्य एवं दायित्व–

भारत सरकार द्वारा दिये निर्देशों के क्रम में मेडिकल कॉलेजों में संचालित सिक न्यबोर्न इकाईयों (SNCUs) में कार्यरत डाटा इन्ट्री आपरेटर द्वारा यदि मेडिकल कॉलेजों में पोषण पुनर्वास केन्द्र (NRCs) संचालित है तो इस इकाई की रिपोर्टिगं का भी कार्य किया जायेगा तथा Data की online फीडिगं करेगें तथा इकाई की Database का रखरखाव, इसके अतिरिक्त मेडिकल कॉलेजों की इकाईयों में कार्यरत डाटा इन्ट्री आपरेटर बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों से सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्बन्धित विभागों से समन्वय कर सहयोग प्रदान करेगें एवं समय–समय पर राज्य स्तर से जारी निर्देशानुसार कार्य करेंगे।

6– सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU) के संविदा मानव संसाधन के भर्ती/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्देश–

- वित्तीय वर्ष के दौरान एस0एन0सी0यू0 में अगर कोई भी मानव संसाधन का पद रिक्त है और उसका पद स्वीकृत हो और मानदेय उपलब्ध हो तो उस मानव संसाधन की नियुक्ति नियमानुसार शीघ्र करें।
- **संविदा स्टाफ नर्स** :– **मेडिकल कालेज में** सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU) पर मेडिकल काउन्सिल में पंजीकृत स्टाफ नर्स को संविदा पर तैनात किया जायेगा। जिनका मानदेय रू0 18150/– प्रति माह की दर से देय होगा। **(सिक न्यूबोर्न केयर इकाईयों (SNCUs) में प्राथमिकता के आधार पर महिला स्टाफ नर्सो की नियुक्ति की जाये)**
- **डाटाइन्ट्री आपरेटर (आउट सोर्सिगं के माध्यम से)**– भारत सरकार द्वारा दिए गये निर्देशों के क्रम में डाटाइन्ट्री आपरेटर के रिक्त पद पर आउट सोर्सिगं के माध्यम से रखे जाने है। डाटाइन्ट्री आपरेटर का मानदेय रू0 12000.00 प्रति माह की दर से देय होगा। जिसकी शैक्षिक योग्यता स्नातक पास एवं कम्प्यूटर में ओ0 लेवल डिप्लोमा या एक वर्षीय कम्यूटर कोर्स का प्रमाण पत्र (one year certificate course computer application or O- Level Computer Diploma) अनिवार्य है, कम से कम दो साल के अनुभव वाले अभ्यार्थी को वरीयता दी जायेगी।
- **सफाई कर्मी/वार्ड आया (आउट सोर्सिगं के माध्यम से)**– **मेडिकल कालेज में** सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU) पर सफाई कर्मी/वार्ड आया/सिक्युरटी गार्ड को आउट सोर्सिगं के माध्यम से रखा जायेगा। प्रति इकाई **3** सफाई कर्मी, प्रति इकाई **3** वार्ड आया, प्रति इकाई **3 सिक्युरटी गार्ड** की तैनाती की जायेगी जिनका मानदेय प्रति रू0 6400/– प्रतिमाह की दर से देय होगा।
- **चयन की प्रक्रिया पूर्व में जारी दिशा निर्देशानुसार ही की जाये। संविदा कर्मियों के चयन हेतु विज्ञापन प्रादेशिक दैनिक 2 हिन्दी समाचार पत्र एवं 1 अंग्रेजी समाचार में अवश्य दिया जाय।**

8– कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन –

सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU) की क्रियाशीलता बनाये रखने के लिये उपकरणों का रख रखाव एवं विद्युत आपूर्ति, महत्वपूर्ण है। क्योंकि यह इकाईयां चिकित्सालय का अभिन्न अंग है। अतः विद्युत वायरिंग अर्थिंग मानक के अनुसार पूर्ण करने तथा इन इकाईयों में आग से सुरक्षा सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व मेडिकल कालेजों में चिकित्सालय प्रशासन/विभागाध्यक्ष बालरोग विभाग का होगा। इस हेतु विभागीय इन्जीनियर का सहयोग लेने का कष्ट करें। **विभागाध्यक्ष/नोडल अधिकारी द्वारा दैनिक आनलाईन रिर्पोटिगं कराया जाना सुनिश्चित करें।** एस0एन0सीं0यू0 की भौतिक प्रगति रिपोर्ट भारत सरकार द्वारा वांछित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 25 तारीख तक महानिदेशालय परिवार कल्याण, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के ई–मेल

jdrchup@gmail.com एवं राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ के ई–मेल sncureportup@gmail.com पर संलग्न प्रारूप पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अनुरोध है कि कृपया अपने मेडिकल कालेजों के विभागाध्यक्ष बालरोग विभाग/नोडल अधिकारी, एस0एन0सी0यू0 से समन्वय करते हुये समय से धनराशि अवमुक्त करने की समस्त आवश्यक कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित करने का कष्ट करें। प्रयास करें की एस0एन0सी0यू0 के क्रियाशीलता में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। अन्य किसी जानकारी के लिये संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0, परिवार कल्याण महानिदेशालय के मो0न0 09412235596 एवं महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के मो0न0 09415026046 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/CH/SNCU/36/2016–17/6208-10 (13) दिनांक /09/2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. **प्रमुख सचिव,** चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. **प्रमुख सचिव,** चिकित्सा शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
3. **महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य,** सेवायें, स्वास्थ्य भवन उ0प्र0, लखनऊ।
4. **महानिदेशक, परिवार कल्याण,** परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ कि अपने स्तर से भी जनपदों को दिशा निर्देश भेजने तथा एस0एन0सी0यू0 की क्रियाशीलता का अनुश्रवण करने का कष्ट करें।
5. **सम्बन्धित ज़िलाधिकारी**/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
6. **सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक**, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
7. **संयुक्त निदेशक,** आर0सी0एच0 परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
8. **कुलपति,** उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
9. **कुलपति,** किंगजार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ/अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़।
10. **निदेशक,** आई0एम0एस0–बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी
11. **प्रधानाचार्य,** एम0एल0एन0, मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद/एल0एल0आर0एम0, मेडिकल कॉलेज मेरठ/एस0एन0, मेडिकल कॉलेज आगरा/जी0एस0वी0एम0, मेडिकल कॉलेज कानपुर/बी0आर0डी0, मेडिकल कॉलेज गोरखपुर/आर0एल0बी0, मेडिकल कॉलेज झाँसी।
12. **विभागाध्यक्ष, बालरोग विभाग/**नोडल अधिकारी/कोऑडिनेटर, SNCU, मेडिकल यूनिवर्सिटी/ कॉलेज, किगंजार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, **लखनऊ**/जे0एन0 मेडिकल कॉलेज **अलीगढ़**/एम0एल0एन0 मेडिकल कॉलेज **इलाहाबाद**/एल0एल0आर0एम0, मेडिकल कॉलेज **मेरठ**/एस0एन0, मेडिकल कॉलेज **आगरा**/जी0एस0वी0एम0, मेडिकल कॉलेज **कानपुर**/बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज **गोरखपुर**/आर0एल0बी0, मेडिकल कॉलेज **झाँसी**, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, **सैफई, इटावा** एवं **आई0एम0एस0–बी0एच0यू0 वाराणसी** को इस अनुरोध के साथ कि अपने जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
13. **सम्बन्धित मण्डलीय एवं जनपदीय,** कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
14. **ऑफीसर इन्चार्ज हेल्थ, यूनीसेफ,** बी–3/258, विशाल खन्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उ0प्र0।

(डा0 अनिल कुमार वर्मा)
महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य